फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 16.10.2024

मु0अ0सं0 198/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग लीडर देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव की थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा कुर्क करायी गयी चल व अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत करीब "उन्नीस करोड़ सैंतालिस लाख बान्नवें हजार सात सौ सैतालिस रुपये इकसठ पैसे" है में से एक लक्जरी कार को थाना पुलिस द्वारा कब्जा में लिया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर महोदया **एश्वर्या उपाध्याय** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी बंगला नं0 50ए लोको रोड कालोनी थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रूखाबाद उत्तर प्रदेश सह–अभियुक्त भाई 2.योगेन्द्र सिंह उर्फ चन्नू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी लोको रोड भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रूखाबाद गैंगलीडर देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव उपरोक्त के द्वारा अपने साथी अभियुक्तगण उपरोक्त के साथ मिलकर अपराध कारित करके अवैध कृत्यों एवं अपराधों से अर्जित किये गये अवैध धन चल अचल सम्पत्ति जोकि अपने व अपने परिवारीजन के नाम एकत्रित की है।

दिनांक 24.07.2024 व 26.07.2024 को माननीय जिला मजिस्ट्रेट के कुर्की आदेश सं0 26/2024 के अनुपालन में अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव उपरोक्त की चल व अचल सम्पत्ति जिसकी वर्तमान कीमत करीब **19,47,92,747.61/-रु0 (उन्नीस करोड़ सैंतालिस लाख बान्नवें हजार सात सौ सैतालिस रुपये इकसठ पैसे)** है को कुर्क कराया गया था तथा उक्त सम्पत्तियो में कुर्क कराये गये वाहन जिसमें दो वाहन एक लक्जरी कार ISUZU MU7 व एक मो0सा0 पैशन प्रो0 थी। जिसमें से लक्जरी कार ISUZU MU7 नं0 UP 76 V 9009 को आज दिनांक 16.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण के दौरान मेडिकल चौकी के पास सड़क किनारे से कब्जे पुलिस में लेकर प्राइवेट वाहन से खिंचवा कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया है।

थाना मऊदरवाजा से कुर्की/कब्जा पुलिस की कार्यवाही में लगा फोर्स:

1. प्रभारी निरीक्षक श्री भोलेन्द्र चतुर्वेदी
2. का0 अभिषेक
3. का0 मुनवेन्द्र
4. मु0आ0 चालक राजेन्द्र

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज

दि0- 16.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रामबाबू पुत्र सेवाराम निवासी- महमदपुर थाना नवावगंज जनपद फरूखाबाद मु0अ0सं0- 317/2006 वाद सं0- 545/2007 धारा- 25/27 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 16.10.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे- 05 कोर्ट फरूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिध्द कर 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

एडीजीसी - श्री भानूप्रकाश मिश्र

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राजेश कुमार

पैरोकार का0 कृष्णवीर

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज

दि0- 16.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभि0गण 1.शेखर उर्फ चन्द्रशेखर पुत्र बृह्मानन्द 2.जागेश्वर पुत्र रामचन्द्र 3.गजराज पुत्र सेवाराम 3.महिमाचन्द्र पुत्र सेवाराम 5.मुकेश पुत्र नत्थूलाल 6.अशोक पुत्र स्वरुप 7.बृह्मानन्द पुत्र सेवाराम 8.राजू पुत्र महाजीलाल 9.राजेन्द्र पुत्र हरिश्चन्द्र 10.रामबाबू पुत्र सेवाराम समस्त नि0गण- महमदपुर थाना नवावगंज जनपद फर्रूखाबाद मु0अ0सं0- 316/2006 वाद स0- 544/2007 धारा- 147,148,149,307,332,353 भा0द0वि0 थाना नवावगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 16.10.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे- 05 कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिध्द कर प्रत्येक को 05 वर्ष का कारावास व 36-36 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी - श्री भानूप्रकाश मिश्र

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राजेश कुमार

पैरोकार का0 कृष्णवीर